फिनटेक कंपनियों को रिजर्व बैंक की चेतावनी, बिना लाइसेंस काम पर कार्रवाई होगी

डिजिटल कर्जदाता तय दायरे में रहकर ही काम करें : आरबीआई

सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप के जरिए कर्ज देने वाली फिनटेक कंपनियों को रिजर्व बैंक ने सख्त चेतावनी दी है। आरबीई गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि डिजिटल कर्जदाता अपने दायरे में रहकर ही काम करें। उन्हें सिर्फ उन्हीं कार्यों से जुड़े रहना चाहिए, जिसका उन्हें लाइसेंस दिया गया है।

एक कार्यक्रम में दास ने कहा कि ऐसी कंपनियों के कामकाज पर आरबीआई की पैनी नजर है। फर्मों को अपने लाइसेंस के तहत ही कामकाज करना चाहिए। अगर वे इससे अतिरिक्त कोई काम करना चाहते हैं, तो पहले हमसे इजाजत लेनी होगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस या इजाजत के काम करते पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने इस बात पर चिंता जताई कि अभी बिना लाइसेंस के ही कर्ज बांटे जा रहे हैं। इन सबसे निपटने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

1100 ऐप कर्ज बांटने वाले मौजूद हैं देश में एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर

600 ऐप गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं

80 तरह के एप्लीकेशन स्टोर पर उपलब्ध हैं लोन बांटने वाले ऐप

जल्द आएगी नई नीति

आरबीआई गवर्नर ने संकेत दिया कि अगले कुछ सप्ताह में डिजिटल कर्ज बांटने को लेकर नई नीति लाई जाएगी। रिजर्व बैंक नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देना चाहता है लेकिन साथ ही पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम को एक नियामकीय रूप में चलाने की भी मंशा रखता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक की ओर से पिछले साल गठित समिति ने डिजिटल लोन ऐप पर नियंत्रण के लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें नोडल एजेंसी बनाना भी शामिल है, जो कर्ज बांटने वाले ऐप की विश्वसनीयता को सत्यपित करेगी और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। आरबीआई ने अपने कार्यकारी निदेशक की अगुवाई में एक कार्य समूह का भी गठन किया है, जो कर्ज बांटने वाले प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगा।

विकसित देशों की तुलना में रुपया बेहतर स्थिति में

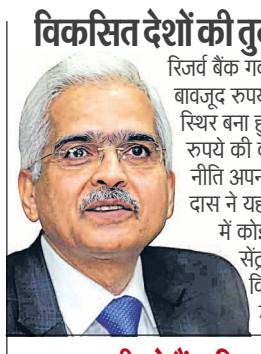

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि गिरावट के बावजूद रुपया कई विकसित देशों की करंसी की तुलना में स्थिर बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक रुपये की कीमतों में आ रही गिरावट पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि रुपये को लेकर हमारे दिमाग में कोई तय लेवल नहीं है, पर इसकी मजबूती लेकर सेंट्रल बैंक लगातार कदम उठा रहा है। गौरतलब है कि घरेलू मुद्रा कुछ दिन पहले ही 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गई थी।

छाता खरीदते हैं ताकि बारिश होने पर इस्तेमाल कर सकें

शक्तिकांत दास ने कमजोर रुपये को सहारा देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल का पुख्ता संकेत देते हुए कहा कि बारिश के समय इस्तेमाल करने के लिए ही छाता खरीदा जाता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में आ रही गिरावट के बीच उन्होंने यह बात कही। गौरतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई ने बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। गत आठ जुलाई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर कम होकर 580.252 अरब डॉलर रह गया था। दास ने कहा, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप बना रहेगा।

बीमा कंपनियां पैनल में मर्जी से अस्पताल शामिल करेंगी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय बीमा विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को मर्जी से अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की अनुमति दे दी है। इरडा ने कैशलेस सुविधा के लिए मानदंडों में ढील देने के उद्देश्य से यह निर्णय उठाया है।

इस फैसले से अब ज्यादा-से-ज्यादा अस्पतालों में मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इरडा के सर्कुलर के अनुसार बीमा कंपनियों को बोर्ड स्तर पर एक नीति बनानी होगी। उसके बाद वे किसी भी अस्पताल को पैनल में ला सकती हैं। इरडा ने कहा कि पैनल में उन्हीं अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, जो बीमा कंपनियों के बोर्ड द्वारा तैयार नियमों का पालन करेंगे। बीमा कंपनियों का कहना है कि बीमा कारोबार लगातार सुधार कर रहा है। इस सर्कुलर से अब बीमा की पहुंच ज्यादातर इलाकों में और ज्यादा अस्पतालों में हो सकेगी।

अब तक उन्हीं अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की इजाजत थी, जिनके पास एनबीएच का प्रमाणपत्र है। या फिर अस्पताल का रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल्स इन द नेटवर्क ऑफ इंश्योरर्स (रोहिनी) में पंजीकरण होना जरूरी था।

इरडा ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बीमा कंपनियों को किसी भी अस्पताल को अपने पैनल में शामिल करने से पहले बुनियादी सुविधाओं पर विचार करना चाहिए। साथ ही बोर्ड द्वारा संशोधित अस्पताल के मानदंडों को अधिकारिक वेबसाइट पर डालना होगा। इस फैसले पर विशेषज्ञों का कहना है कि इरडा ने इसे फैसले से अस्पतालों में कैशलेस क्लेम का दायरा बढ़ेगा।

'कैशलेस' सुविधा का बढ़ेगा दायरा

नियामक ने बीमा कंपनियों और तीसरे पक्ष के प्रशासकों (टीपीए) को जारी पत्र में कहा है कि यह फैसला देश में कैशलेस सुविधा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे अधिक से अधिक लोगों तक बीमा की पहुंच भी बढ़ेगी। बीमाकर्ताओं को अब उन नेटवर्क प्रदाताओं या अस्पतालों को पैनल में शामिल करने का अधिकार है, जो उनके मानकों और मानदंडों पर खरे उतरते हैं।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
56072	+390	16719	+114

टॉप गेनर

कंपनी	बंद	बदलाव%
अल्ट्रा सीमेंट	6454.50	5.31
एचडीएफसी	2296.55	2.37

टॉप लूजर

कंपनी	बंद	बदलाव%
इंफोसिस	1506.30	-1.73
एनटीपीसी	148.90	-1.19

टॉप गेनर

कंपनी	बंद	बदलाव%
अल्ट्रा सीमेंट	6431.20	4.90
ग्रासिम	1514.00	3.37

टॉप लूजर

कंपनी	बंद	बदलाव%
टाटा कंज्यू.	803.00	-1.87
इंफोसिस	1506.00	-1.75

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	50341	+594
चांदी	55164	+998

करेंसी
डॉलर/रुपया
79.90 -0.05

घरेलू हवाई सफर करने वाले यात्री घटे

नई दिल्ली। देश में जून के महीने में करीब 1.05 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया जो एक महीने पहले की तुलना में करीब 12.5 प्रतिशत कम है। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा कि मई में करीब 1.2 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया था। इसके साथ ही जनवरी-जून 2022 के दौरान कुल 5.72 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से हवाई सफर किया।

एयू बैंक ने इस तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया

नई दिल्ली। एयू बैंक के लिए वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही पिछले 5 वर्षों में व्यवसाय की गति और संग्रह के मामले में सर्वश्रेष्ठ में से एक रही। बैंक ने समग्र प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उसका कर पश्चात लाभ 32% सालाना बढ़ा है वहीं जमा में 48% सालाना की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के ऊपर की ओर बढ़ने के बीच जीएनपीए में सुधार हुआ है।

रिलायंस का शुद्ध लाभ 43.6 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने समाप्त पहली तिमाही में समेकित रूप से 17,955 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्शाया है जो पिछले साल इसी तिमाही की तुलना में 43.6 प्रतिशत ऊंचा है। रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा कि कच्चे तेल के बाजार में उत्पन्न चुनौतियों और ऊर्जा तथा भाड़े का खर्च बढ़ने का बावजूद तेल कारोबार में कंपनी ने अब तक का सबसे अच्छा तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया।

आकाश की उड़ान सात अगस्त से शुरू होगी

नई दिल्ली। नई विमानन सेवा आकाश एयर की वाणिज्यिक उड़ानें सात अगस्त से मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर शुरू होंगी। पहली उड़ान बोइंग 737 मैक्स विमान भरेगा। कंपनी ने बयान में कहा कि सात अगस्त से मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर 28 साप्ताहिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो रहा है जिनके लिए टिकट की बिक्री शुरू कर दी गई है।

डेल ने पेश किए आधुनिक स्टोरेज समाधान

नई दिल्ली। डेल टेक्नोलॉजीज ने अपने पोर्टफोलियो में विस्तार करते हुए अपने सॉफ्टवेयर आधारित स्टोरेज सॉल्यूशंस लॉन्च किए, जिससे कि बढ़ी हुई इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और मल्टी-क्लाउड के लचीलेपन को बढ़ावा दिया जा सके। यह कदम कारोबार को इस डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ सुरक्षित एवं लचीला माहौल प्रदान करेगा।

लगातार छठे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई,एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार में लगातार छठे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 390 अंक से अधिक चढ़कर 56,000 के पार पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की लिवाली और वैश्विक बाजारों में सकरात्मक रुख के बीच बैंक और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक बृहस्पतिवार को शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने 1,799.32 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 390.28 अंक यानी 0.70 प्रतिशत बढ़कर 56,072.23 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 504.1 अंक तक चढ़ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114.20 अंक यानी 0.69 प्रतिशत की मजबूती के साथ 16,719.45 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं, दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावरग्रिड, विप्रो और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।

चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों के अपने बैंक खातों से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है। आरबीआई के अनुसार, साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के मुताबिक, साईबाबा जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ता 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते है। जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है।

रिटर्न भरने की तय तारीख नहीं बढ़ेगी

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। उसका मानना है कि ज्यादातर रिटर्न निर्धारित तिथि तक भर दिए जाएंगे। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ रिटर्न भरे गए थे। पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी।

बजाज ने कहा, लोग सोचते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा हर बार बढ़ती है। इसीलिए वे शुरू में रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिखाते हैं। लेकिन हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा।

उन्होंने कहा, पिछली बार 9-10 प्रतिशत रिटर्न अंतिम दिन भरे गए थे। पिछले साल अंतिम दिन 50 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार मैंने अंतिम तारीख पर एक करोड़ रिटर्न के लिये तैयार रहने को कहा है।

आयकर नियमों के अनुसार उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिये 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है।

विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए आय के आधार पर सात प्रकार के फॉर्म निर्धारित किए हैं। कर विभाग का आयकर रिटर्न भरने का नया पोर्टल अंतिम समय में अत्यधिक रिटर्न जमा किए जाने के लिहाज से काफी मजबूत है।

बजाज ने कहा, अब तक आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है।

- 2.3 करोड़ से अधिक रिटर्न भरे जा चुके हैं
- पिछले साल समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी

अपना देश

आजम खां की जमानत से जुड़े आदेश निरस्त

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट सपा विधायक आजम खां पर लगाई गई जमानत की शर्तों से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एक हिस्से को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया। आदेश में रामपुर के जिलाधिकारी को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीन को कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस प्रवृत्ति को लेकर परेशान है, जहां हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले का संदर्भ दिया, जो जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से संबंधित नहीं है। जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को जमीन को कब्जे में लेने का निर्देश देने वाली जमानत की शर्त को निरस्त करते हुए खां की जमानत से संबंधित अन्य शर्तों को बरकरार रखा।

खां जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। पीठ ने कहा, यह एक और मामला है, जहां हाईकोर्ट ने उन मामलों का संदर्भ दिया, जो संबंधित आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध से जुड़ी जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार से संबंधित नहीं हैं। पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से अतिरिक्त शर्तें लगाने का आग्रह किया है कि खान को जमानत अवधि के दौरान रामपुर जिले में प्रवेश करने से परहेज करने का निर्देश दिया जाए।

सात और मामलों में आरोप तय

रामपुर। यतीमखाना और डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े सात अन्य मामलों में शुक्रवार को सपा के शहर विधायक आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां और पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत कई आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इन सभी पर बस्ती खाली कराने के दौरान लूटपाट, डकैती और मारपीट के आरोप हैं। अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। सपा शासन में यतीमखाना बस्ती और डूंगरपुर बस्ती को खाली कराया गया था। इस दौरान मारपीट, लूटपाट और डकैती के आरोप लगाए गए थे। इन सभी मामलों में 2019 में अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे।

एसआईटी के सदस्य को ट्रैप करने की कोशिश

- पाकिस्तान के एक नंबर से एसआईटी को आया फोन
- मोबाइल नंबर आईएसआई से जुड़ा, नंबर हुआ डिकोड

पटना। फुलवारी से देश में हिंसा फैलाने की साजिश की जांच में जुटी पटना एसआईटी को फंसाने की कोशिश का मामला सामने आया है। एसआईटी के एक सदस्य को फोन कर हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। जिस नंबर से फोन आया है, वह पाकिस्तान का मिला है। पुलिस उस नंबर को डिकोड कर चुकी है।

सूत्रों की मानें तो जांच में यह पाकिस्तानी नंबर आईएसआई से जुड़ा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गजवा-ए-हिंद के जरिए देश में हिंसा फैलाने की मुहिम चलाने के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध के तार पाकिस्तान के फैजान से जुड़े रहे हैं। उसके कब्जे से बरामद मोबाइल में पाकिस्तान के फैजान समेत कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। उसकी गिरफ्तारी होने से आतंकी संगठनों के संदिग्धों में खलबली मची हुई है।

यही वजह है कि आतंकी संगठन से जुड़े सदस्य दूर से ही तरह-तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। जांच में जुटी एसआईटी को फंसाने के लिए फोन कर हनी ट्रैप करने की कोशिश इसी कड़ी का हिस्सा है।

एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
कार्पोरेट पहचान संख्या : L74140DL1991PLC046369
पंजीकृत कार्यालय : 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर–126,
नोएडा– 201304, उ.प्र., भारत टेलीफोन : +91 11 26436336
वेबसाइट : www.hcltech.com; ई–मेल आईडी: investors@hcl.com

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") एवं अन्य दृश्य–श्रव्य ("ओएवीएम") माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर "वीसी"/"ओवीएम" के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को पूरा किया जा सके।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं अन्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") के साथ में पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") और एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, सदस्यों को एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) के साथ बैठक में किए जाने वाले व्यवसायों को निर्धारित करने वाली एजीएम की सूचना शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत थे।

सदस्य ध्यान दें कि एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) कम्पनी की वेबसाइट www.hcltech.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com, साथ ही साथ नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट, ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) कराने वाली एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित)

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और कम्पनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20, और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में देने के लिए अपने सभी सदस्यों को ई–मतदान सुविधा प्रदान कर रही है। वे सदस्य जो **मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 ("कट ऑफ तिथि")** को भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्हें अपना मतदान देने से वंचित नहीं किया गया हो, वे सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मत देने के लिए पात्र हैं।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस प्रेषण होने के बाद कम्पनी का शेयर प्राप्त करते हैं या कम्पनी का सदस्य बनते हैं और कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजकर एजीएम में शामिल होने के लिए और अपना मतदान देने के लिए लॉग–इन–आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) हेतु विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में दी गई है।

कम्पनी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में मैसर्स नित्यानंद सिंह एण्ड कम्पनी, कम्पनी सचिव को नियुक्ति किया है।

ई–मतदान सुविधा निम्नांकित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होंगी :

दूरस्थ ई–मतदान शुरू होने की तिथि एवं समय
शुक्रवार, अगस्त 12, 2022 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.सं.)

दूरस्थ ई–मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय
सोमवार, अगस्त 15, 2022 को सायं. 05:00 बजे (भा.मा.सं.)

इसके बाद दूरस्थ ई–मतदान प्रणाली एनएसडीएल द्वारा निर्योग्य कर दी जाएगी और दूरस्थ ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त वर्णित दूरस्थ ई–मतदान अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने पर सदस्य को बाद में उसे बदलने या दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और जिन्होनें दूरस्थ ई–मतदान अवधि के दौरान अपने मतदान नहीं डाले हैं और उन्हें ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया हो, वे एजीएम के दौरान ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से अपना मतदान देने के पात्र होंगें।

ई–मतदान प्रक्रिया (दूरस्थ ई–मतदान सम्मलित) से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायत हेतु या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध सदस्यों हेतु प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों ("एफएक्यू") और सदस्यों हेतु ई–मतदान यूजर मैन्युअल देखें। आप एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें अथवा निःशुल्क नं. 1800–1020–990 या 1800–224–430 पर कॉल करें। किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक को pallavid@nsdl.co.in पर या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, को sonis@nsdl.co.in पर सम्पर्क करें।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
मनीष आनंद
कम्पनी सचिव

दिनांक : जुलाई 22, 2022
स्थान : नोएडा (यू.पी.)

हिन्दुस्तान भरोसा नए हिन्दुस्तान का

स्कैन करें

मिलिए अपनी डिजिटल अनोखी से

आपकी अनोखी अब हो गयी है फ्री डिजिटल पर, प्यार और भरोसा है वही पहले वाला। तो हर शनिवार कीजिये इस से डिजिटल मुलाकात।

फ्री अनोखी पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें या 7065115544 पर मिस्ड कॉल दें।

www.LiveHindustan.com | Livehindustannews | hindustannews